राष्ट्रसेवा का संकल्प जन-जन तक पहुंचाएं

▶ हेमंत खंडेलवाल ने कार्यसमिति में कहा

नवभारत न्यूज

ओरछा, 30 अगस्त. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को कहा कि पार्टी की विचारधारा महापुरुषों के त्याग, सेवा, संगठन और राष्ट्र निर्माण के संस्कारों से निर्मित हुई है और हमारे दल के संस्थापक नेताओं के विचार आज भी पार्टी को दिशा दे रहे हैं.

वरिष्ठ नेता भगवान श्री रामराजा की नगरी ओरछा में दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश

अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ संयोजक विष्णुदत्त शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक का दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया. इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ. प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र एकता के संकल्प और कुशाभाऊ ठाकरे के संगठन एवं कार्यकर्ता निर्माण के विचार आज भी हमारे संगठन को दिशा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि विचार, संस्कार, सेवा और राष्ट्र निर्माण की यात्रा है. हमारे संगठन की शक्ति हमारे कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की शक्ति हमारी विचारधारा है. अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही अंत्योदय की वास्तविक भावना है.

प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश के आजाद होने के बाद जिस भारत की संकल्पना की थी, उसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरा किया है. भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं. इस संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों को कार्यकर्ता जन-जन तक, हर घर तक पहुंचाने का कार्य करें. बैठक को पूर्व मुख्यमंत्री चौहान, केंद्रीय मंत्री सिंधिया, भाजपा उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया. भाजपा की दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक का समापन सोमवार को होगा. सोमवार को 9:45 बजे 'सेवा संकल्प अभियान' विषय पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी.

इमरती देवी ने फिर कुछ ऐसा कहा जिसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 अगस्त. अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वालीं पूर्व मंत्री इमरती देवी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है, ओरछा पहुंचीं इमरती देवी ने रामराजा से ऐसी प्रार्थना की है. जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गयी है. कांग्रेस को एक नया मुद्दा पूर्व मंत्री ने दे दिया है.

इमरती देवी ने मंत्री कृष्णा गौर को मुख्यमंत्री बनाने की रामराजा से प्रार्थना की है, इतना ही नही उन्होंने खुद मंत्री कृष्णा गौर को गले लगाते हुए यह बात कही. इमरती देवी ने कहा

कि मंत्री जी बड़े दिनों में मिली हो, में तो कहती हूं कि रामराजा मुख्यमंत्री बना दे, इस बात को सुनकर मंत्री कृष्णा गौर कुछ देर रुकी, फिर पलट कर उनसे कुछ नजदीक से कहा और फिर हंस कर चली गईं.

आपको बता दें कि इमरती देवी कट्टर सिंधिया समर्थक के रूप में पहचान रखती हैं और हमेशा से अपने तीखे और सुर्खियां बटोरने वाले बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं ऐसे में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बीच यह बयान विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे सकता है. हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इमरती देवी ने यह बात हंसी मजाक में कही है और उनकी बात का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है जबकि ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे ने कहा है कि सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री का ऐसा कहना प्रदेश की राजनीति में चल रही हलचल के साथ ही समर्थकों के सिंधिया से मोहभंग को भी जाहिर करता है.

2028 के चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

विशेष संवाददाता

भोपाल, 30 अगस्त. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि जब प्रदेश की जनता वर्तमान समस्याओं का जवाब मांग रही है, तब सत्तारूढ़ दल वर्ष 2028 के चुनाव की रणनीति बनाने में व्यस्त है.

पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते कर्ज, अपराध, भ्रष्टाचार और किसान संकट जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि इन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा क्यों नहीं की गई.उन्होंने भाजपा सरकार से बढ़ते कर्ज से निपटने, कानून-व्यवस्था सुधारने, कथित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने किसानों की आय और महिला सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई.

पटवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता को केवल चुनावी रोडमैप नहीं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चाहिए.

एससी-एसटी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने पर मंथन

▶ डॉ. अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन ने किया कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

भोपाल, 30 अगस्त .डॉ. अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा राष्ट्र एवं समाज के उत्थान से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर गहन विचार-मंथन कार्यक्रम का आयोजन रविवार को एप्को सभागार में किया गया.

कार्यक्रम में प्रशासन, वन सेवा, उच्च शिक्षा, न्यायपालिका, मीडिया, महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों एवं प्रबुद्धजनों ने भाग लेकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की

पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए अलग से महिला प्रकोष्ठ गठित करने का सुझाव दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर, पूर्व जिला जज आरसी चौरसिया, डिक्की के अध्यक्ष डॉ. अनिल सिरवैया, पूर्व वन संरक्षक रमेश गानवा ने भी विचार व्यक्त किए. संचालन सुनील बोरसे ने किया. राजेंद्र प्रसाद ने आभार माना.

विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए.

छत्तीसगढ़ के पूर्व अपर मुख्य सचिव सरजियस मिंज ने कहा कि समाज में यह मिथ्या धारणा रही है कि एससी-एसटी वर्ग के लोगों में बुद्धि एवं विवेक की कमी होती है, जबकि वैज्ञानिक शोध यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इन वर्गों के लोगों की बौद्धिक क्षमता समान होती है. .पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. रामप्रकाश ने कहा कि शासकीय सेवाओं में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना चिंता का विषय है. पूर्व मुख्य वन संरक्षक वीडी संखवार ने कहा कि एसोसिएशन के उद्देश्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है. अपर संचालक, उच्च शिक्षा डॉ. मथुरा प्रसाद ने कहा कि शिक्षा ही विकास और सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है. अध्यक्षता करते हुए पूर्व अपर मुख्य सचिव जे.एन. कंसोटिया ने कहा कि समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना हम सभी का दायित्व है. वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल ने कहा कि सामाजिक विकास में सरकार के साथ-साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है.

आदमपुर कचरा खंती के धर्मकांटे में चोरी

▶ आठ लाख का सामान ले गए चोर

▶ कर्मचारियों को भनक तक नहीं लगी

नवभारत न्यूज

भोपाल, 30 अगस्त. बिलखिरिया थाना क्षेत्र स्थित आदमपुर कचरा खंती के धर्मकांटे में चोरों ने धावा बोलकर करीब आठ लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया.

आरोपी ताला तोड़कर धर्मकांटे के अंदर दाखिल हुए और मशीनरी के जरूरी उपकरण, कंप्यूटर, प्रिंटर, वेल्डिंग मशीन, मोटरें समेत भारी मात्रा में सामान समेटकर फरार हो गए.खंती के अधिकारी कामाथम अंजी रेड्डी ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को परिसर का निरीक्षण किया गया था. खंती परिसर में छह सुरक्षा गार्ड भी तैनात थे. 29 अगस्त की सुबह करीब सात बजे उन्हें धर्मकांटे का ताला टूटे होने की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और अंदर जाकर जांच की. धर्मकांटे में रखा सामान गायब मिला. चोर धर्मकांटे की मशीन के जरूरी उपकरण, दो कंप्यूटर, प्रिंटर, वेल्डिंग मशीन और कई मोटरें चोरी कर ले गए. इसके अलावा लोहे के करीब 100 एंगल और कुर्सियां भी नहीं मिलीं.

स्कूटी सवार बदमाशों ने बैंककर्मी की कार पर पत्थर बरसाए

शिकायत लेकर पहुंचे तो हबीबगंज पुलिस ने टरकाया

नवभारत न्यूज

भोपाल, 30 अगस्त. हबीबगंज इलाके की पॉश कॉलोनी ई-6 अरेरा कॉलोनी निवासी आरबीएल बैंक कर्मचारी अक्षय श्रीवास्तव की कार को निशाना बनाते हुए स्कूटी सवार बदमाशों ने उसका पिछला कांच फोड़ दिया और मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

▶ पुलिस के बयान में विरोधाभास

पुलिस के बयान में भी विरोधाभास मामले में हबीबगंज थाना प्रभारी संजीव चौकसे का कहना है कि थाने में कोई व्यक्ति शिकायत करने नहीं आया. जबकि पीड़ित अक्षय श्रीवास्तव का कहना है कि वह शनिवार रात थाने पहुंचे थे और उनका आवेदन भी लिया गया.

घटना के बाद अक्षय शनिवार रात शिकायत लेकर हबीबगंज थाने पहुंचे. आरोप है कि हेड कांस्टेबल राकेश यादव ने उनका आवेदन तो

▶ एक्टिवा फूंकी

इधर, स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र के विजय नगर में किराना व्यापारी हेमंत अहिरवार के घर के बाहर खड़ी एक्टिवा में दो अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी. एक्टिवा पूरी तरह जल गई, वहीं आग की चपेट में आने से घर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी खराब हो गया.

ले लिया, लेकिन तत्काल एफआईआर दर्ज करने के बजाय उन्हें सोमवार को दोबारा आने की बात कहकर चलता कर दिया.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात

नवभारत न्यूज

मंडीदीप, 30 अगस्त. भाजपा नेताओं ने भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा के निर्देशानुसार रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' को सुना.

कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, नपा अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल, जीवन सिंह पाल, विनोद जैन, प्रार्थना चौहान, पूजा मिश्रा सहित मंडल पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने बूथों पर सामूहिक रूप से 'मन की बात' सुनी.संगठन के निर्देशानुसार मंडल के सभी बूथों पर 'मन की बात' कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सुरेंद्र जैन,जयपाल राजपूत, सोनम जैन, घनश्याम गोस्वामी, जय मीना आदि उपस्थित थे.

पुलिस में 9,662 पदों पर होगी भर्ती

1 पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव

नवभारत न्यूज

भोपाल, 30 अगस्त. प्रदेश पुलिस में बड़ी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है. पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न पदों के कुल 9,662 रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) को भेजा है. भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से कराई जाएगी.

भर्ती में आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक और सूबेदार स्तर के पद शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक भर्ती में आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के 7,500 पद सबसे ज्यादा हैं. इसके अलावा आरक्षक चालक के 1,000, सहायक उप निरीक्षक के

2 कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगी भर्ती

520 और जिला बल में उप निरीक्षक के 312 पद प्रस्तावित हैं. इसी तरह सूबेदार के 81 और विशेष सशस्त्र बल में उप निरीक्षक के 69 पद भी शामिल हैं. इसके अलावा शीघ्रलेखक के 135, अंगुलिचिन्ह उप निरीक्षक के 22, आयुध उप निरीक्षक के 10, फोटो उप निरीक्षक के 9 और क्यूडी उप निरीक्षक के 4 पद प्रस्तावित हैं. इस तरह अलग-अलग संवर्गों में कुल 9,662 पदों पर भर्ती की तैयारी है. ईएसबी के मौजूदा परीक्षा कार्यक्रम में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को वर्ष 2026 के लिए शामिल किया गया है. इसमें प्रथम चरण की परीक्षा

3 सितंबर में विज्ञापन और दिसंबर में परीक्षा

दिसंबर में प्रस्तावित बताई गई है. 9,662 पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी ईएसबी के विस्तृत विज्ञापन का इंतजार है. विज्ञापन जारी होने के बाद ही आवेदन की शुरुआत और अंतिम तारीख, पदवार आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शुल्क, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चयन प्रक्रिया की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी. अंतिम पद संख्या और पदवार नियम ईएसबी द्वारा जारी विज्ञापन में ही मान्य होंगे. सितंबर में भर्ती विज्ञापन आने की संभावना है.

स्क्रैप कारोबारी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 30 अगस्त. हबीबगंज इलाके में एक स्क्रैप कारोबारी ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. रविवार को शव का पीएम कराते हुए पुलिस ने परिजनों को सौंपा.

जानकारी के मुताबिक इंद्रा नगर 12 नंबर मल्टी में गोपाल कनाडे (50) ने शनिवार देर शाम रस्सी का फंदा बनाया और खुदकुशी कर ली. घटना के समय गोपाल घर में अकेले थे. पुलिस को मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ.. पुलिस खुदकुशी के कारणों का पता लगा लगा रही है. पुलिस को पड़ोसियों ने बताया कि गोपाल की पत्नी अपने मायके गई है. उनकी एक बेटी और एक बेटा है. हबीबगंज पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

मप्र दैनिक वेतन भोगी महासंघ का पुनर्गठन

भोपाल. मप्र दैनिक वेतन भोगी एवं आउट सोर्स संविदा कर्मचारी महासंघ की बैठक निगम मंडलों के वरिष्ठ कर्मचारी नेता अरुण वर्मा की अध्यक्षता में हुई. कर्मचारी महासंघ का पुनर्गठन गठन किया गया. प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई, प्रांतीय संयोजक अरुण वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष पवन परसाई, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश साहू, रोहित राजमदोही,शिवा नामदेव, धीरेंद्र शर्मा, महासचिव अखिलेश पंडोले और कोषाध्यक्ष चेतन सोनी सर्वसम्मति से मनोनीत किए गए.

नई वैकेंसी से पहले पुरानी प्रतीक्षा सूची भरने की मांग

जेएवाई ने आंदोलन की दी चेतावनी

सिटी रिपोर्टर

भोपाल, 30 अगस्त. ओबीसी विदेश अध्ययन योजना को लेकर जेएवाई मूवमेंट और ओबीसी महासभा का विरोध तेज हो गया है.

जेएवाई मूवमेंट के संस्थापक लखपत गुर्जर ने योजना की नई वैकेंसी सितंबर में जारी होने संबंधी विभागीय बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले लंबित 114 रिक्त सीटों को पात्र विद्यार्थियों, विशेषकर प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों से भरा जाए. उन्होंने कहा कि जब तक इन सीटों का समाधान नहीं होता, नई वैकेंसी की प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी.

गुर्जर के अनुसार वर्ष 2023 की 50, वर्ष 2025-26 की 14 और वर्ष 2026-27 की 50 सीटें मिलाकर कुल 114 सीटें रिक्त हैं. उन्होंने इन सीटों का विभागीय सत्यापन कर पात्र विद्यार्थियों को अवसर देने की मांग की. जेएवाई ने चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वर्ष 2025 में तीन बार नियम बदले जाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है. उन्होंने योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को वर्तमान महंगाई और विदेश में शिक्षा की बढ़ती लागत के अनुरूप बढ़ाने की मांग भी की.ओबीसी महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष राधे जाट ने भी पुरानी प्रतीक्षा सूची और रिक्त सीटों का निराकरण किए बिना नई वैकेंसी जारी नहीं करने की मांग की.गुर्जर ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो प्रदेश और देश स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा.

महिला पार्षद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

भोपाल, 30 अगस्त. नगर निगम के वार्ड-35 की भाजपा महिला पार्षद के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में मंगलवारा पुलिस ने राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

कुम्हारपुरा निवासी आरोपी ने फेसबुक पर पार्षद को लेकर एक पोस्ट की थी. इसमें सांसद निधि से मिलने वाली पांच हजार रुपए की राशि को लेकर आरोप लगाए गए थे. पोस्ट के कमेंट सेक्शन में आरोपी ने पार्षद के खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिखी थीं. मामले में पार्षद पूजा शर्मा की ओर से मंगलवारा थाने में शिकायत की गई थी. इसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की. शनिवार को सांसद आलोक शर्मा ने भी मामले को लेकर पुलिस आयुक्त संजय कुमार से मुलाकात कर जानकारी ली थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजेश प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया.

अनदेखी | पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 15 साल में 4 करोड़ खर्च

मंडीदीप में पार्क बने अस्थाई पार्किंग स्थल

नवभारत न्यूज

मंडीदीप, 30 अगस्त. मंडीदीप नगर में लोगों को दो पल के सुकून के लिए बने लूपिन पार्क, लायंस पार्क, समेत आधे दर्जन से ज्यादा पार्कों की स्थिति दयनीय है.

इन पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका द्वारा 15 सालों में करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए, परन्तु हालत बद से भी बदतर है.

नतीजन यहां बुजुर्ग, बच्चे, गृहणी कोई भी सुकून के लिए तरसते है.पार्कों की बदहाल स्थिति स्पष्ट दर्शाती है कि कहीं न कहीं सौंदर्यीकरण के लिए किए गए कामों में संबंधित लोगों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है. पार्कों में पौधों की जगह कंडम वाहन खड़े हुए हैं.

इनका कहना :-

लायंस पार्क में अब सभागार का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 5 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई है. जल्द ही यहां नगर की जनता को एक और सभागार की सौगात मिलेगी.

सुधीर उपाध्याय सीएमओ

नगर में पार्कों को संवारने और मेंटेनेंस के नाम पर हर माह उद्यानिकी शाखा से 20 कर्मचारी तैनात हैं. लाखों खर्च के बाद भी पार्कों की दयनीय स्थिति किसी बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है. पार्कों में साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है. पार्कों में चारों तरफ सिर्फ गंदगी का अंबार लगा हुआ है. पन्नी, डिस्पोजल, शराब की बोतल एवं कई सामान बिखरा पड़ा है.

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED
Group Company of peoplehome
A Subsidiary of Weaver Services Private Limited
All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098.
CIN: U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 की धारा 13(2) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के नियम 3(1) के तहत।

नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' (जिसे 'उक्त एक्ट' कहा गया है) के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी हैं। उक्त एक्ट की धारा 13(12) और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए,
अधिकृत अधिकारी ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों के जरिए नीचे बताए गए उधारकताओं (जिन्हें 'उक्त उधारकर्ता' कहा गया है) से कहा गया है कि वे अपने-अपने डिमांड नोटिस में बताई गई रकम चुकाएं (जो नीचे भी दी गई है)। इस संबंध में, उक्त उधारकताओं को एक बार फिर यह नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के छपने के 60 दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे बताई गई रकम चुकाएं। साथ ही, बकाया रकम पूरी तरह चुकाने की तारीख तक का अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क भी दें (जैसा कि उक्त डिमांड नोटिस में बताया गया है)। यह भुगतान नीचे बताई गई तारीखों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तारीख तक करना होगा, जो लोन एग्रीमेंट और उक्त उधारकताओं द्वारा हस्ताक्षरित अन्य दस्तावेजों/लिखतों (यदि कोई हों) के तहत देय है। लोन की सही समय पर अदायगी की सुरक्षा के तौर पर, उक्त उधारकताओं ने सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास अपनी-अपनी संपत्तियां गिरवी रखी हैं।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	BHOVD24018204/ लखन लाल साहू/बविता साहू	रू. 5,48,944/- (पाँच लाख अड़तालीस हजार नौ सौ चवालीस मात्र)	09-07-2026 / 08-08-2026 / 20-07-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका खसरा नंबर 445 है और क्षेत्रफल 525 वर्ग फुट है, वार्ड नंबर 03, माता बाग, कुरवई पीएच नंबर 22 (बीना रोड पेट्रोल पंप के पास, कुरवई), तहसील- कुरवई, जिला- विदिशा-464224, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : विक्रेता का रास्ता, पश्चिम : विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर : विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण : विक्रेता की शेष भूमि।
2	GWLGN24018506/ मेघराज जाटव/रेखा जाटव	रू. 3,58,058/- (तीन लाख अट्ठावन हजार अट्ठावन मात्र)	04-07-2026 / 19-08-2026 / 21-07-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका पीएच नंबर 40 है और जो सर्वे नंबर 629/2/min-1 का हिस्सा है; क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट; वार्ड नंबर 05, गीता नगर कॉलोनी, कुंभराज, तहसील कुंभराज, जिला गुना - 473222, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता; पश्चिमः धीराप गडरी का प्लॉट; उत्तरः 20 फीट चौड़ा रास्ता; दक्षिणः दिलीप मीणा की जमीन।
3	BHOBH17000202/हरीश सोहेल (स्व. सोहेब अहमद मोमिन के कानूनी उत्तराधिकारी)/ स्व. सोहेब अहमद मोमिन के कानूनी उत्तराधिकारी	रू. 1,87,088/- (एक लाख सत्तासी हजार अठासी मात्र)	09-07-2026 / 08-08-2026 / 07-08-2026	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जो जमीन के प्लॉट का एक भाग है - खसरा नंबर 116/1/1, क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट, वार्ड नंबर 10, ग्राम- बेरसिया, देवलखेड़ा मार्ग पर, विश्रामघाट के बाद, बेरसिया (मुख्य मार्ग से हटकर), भोपाल-463106, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः इसी खसरा नंबर की बाकी जमीन; पश्चिमः 15 फीट का रास्ता; उत्तरः 20 फीट का रास्ता; दक्षिणः इसी खसरा नंबर की बाकी जमीन।

अगर बताए गए उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ऊपर बताए अनुसार पेमेंट करने में नाकाम रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक्ट की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसमें होने वाले खर्च और नतीजों की पूरी जिम्मेदारी उधारकताओं की होगी। एक्ट के तहत, उधारकताओं को सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पहले से लिखित मंजूरी के बिना इन संपत्तियों को बेचने, लीज पर देने या किसी और तरह से ट्रांसफर करने की मनाही है। जो कोई भी इस एक्ट या इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने में मदद करता है, उसे एक्ट में बताए अनुसार जेल की सजा और/या जुर्माना हो सकता है।

स्थान: मध्यप्रदेश, दिनांक : 31.08.2026 — **हस्ताक्षर/-, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी**